

# यात्रा भत्ता नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

(2014)

श्रेणी	वेतनमान 1998 में वेतन	वेतनमान 2008 में	रेल से यात्रा	सड़क से	सड़क यात्रा भत्ता** (ड्यूटी स्थान से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक)	इन्सीडेन्टल चार्जेंज प्रति प्रति किमी	जयपुर के अतिरिक्त राज्य में दैनिक भत्ता	जयपुर में*		नई दिल्ली मुम्बई, कोलकाता चेन्नई		राज्य के बाहर के शहरों एवं जिला मुख्यालय के लिए	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	
								दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लीजिंग	दैनिक भत्ता	बोर्डिंग एवं लीजिंग		लांजिंग बोर्डिंग	एक मुश्त अनुदान
क.	16400 एवं अधिक	37000 एवं अधिक	किसी भी रेलगाड़ी सभी श्रेणी	ए.सी. डीलक्स अर्द्ध डीलक्स उच्चतर श्रेणी बस	जयपुर 60 रु. कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर 45 रु. अन्य स्थान 25 रु.	7 पैसे	205	255	640	390	975	505	3000	10
ख.	8000 से 16399	19000 से 36999	एसी थ्रीटायर एसी चेयर			5 पैसे	180	225	495	345	760	340	2500	10
ग.	6500 से 7999	15000 से 18999	एसी चेयर नॉन एसी स्लीपर	साधारण एक्सप्रेस या मेल श्रेणी	जयपुर 50 रु. कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर 40 रु. अन्य स्थान 25 रु.	3 पैसे	160	195	375	300	570	300	2000	6
घ.	4100 से 6499	10000 से 14999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			3 पैसे	135	165	240	225	370	195	1500	4.60
ड.	0 से 4099	0 से 9999	स्लीपर द्वितीय श्रेणी			3 पैसे	85	105	130	160	190	100	1000	4

\* ये दरें समस्त राज्यों की राजधानी एवं नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पूना, अहमदाबाद एवं राज्य के बाहर के पर्वतीय स्थलों पर भी लागू होगी। \*\* रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा तक पहुंचने की दूरी की गणना ड्यूटी पाइन्ट/घर से की जायेगी। 1. कार्यस्थान से हवाई अड्डे तक जाने व वापस आने के लिए मील भत्ता जयपुर व उदयपुर हेतु 100/- रु. तथा जोधपुर व कोटा हेतु 50/- रु., 2. दैनिक यात्रा मुख्यालय में 6 घंटे अनुपस्थिति के लिए शून्य, 6 से अधिक 12 घंटे के लिए 50 प्रतिशत तथा 12 घण्टे से अधिक के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा। 3. वायुयान की यात्रा में आनुषंगिक प्रभार किराये का 20 प्रतिशत होगा जो कि दैनिक भत्ता यात्रा के 3/4 तक सीमित होगा। 4. वायुयान से 80000 रु. या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी एकजीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं, 37000 रु. एवं अधिक परन्तु 80000 रु. से कम मूल वेतन आहरित कर रहे अधिकारी इकोनॉमिक क्लास/स्टेण्डर्ड क्लास/निम्नतम क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं। 5. होटल व्यय में आवास एवं भोजन भी सम्मिलित है और वह विहित अधिकतम सीमा से कम है तो वास्तविक व्यय ही देय होगा।